


गोल्फ कोर्स रोड, नगरोटा,
जम्मू - 181221 (जम्मू व कश्मीर)
Golf Course Road,
Nagrota, JAMMU- 181221 (J&K)
दूरभाष Telephone: 2674867(HOO)
2674991(Dir)



भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA
जम्मू व कश्मीर भू-स्थानिक आँकड़ा
केंद्र
Jammu & Kashmir Geo-spatial
Data Centre

ई-मेल e-Mail : jk.gdc.soi@gov.in

सं. No. - 1270/37-जी-9

दिनांक Dated: 29/08/2018

नेमी आदेश/Routine Order/स./No 05 दिनांक/ 29 अगस्त/August.2018

1. प्रारंभिक वर्गीकरण :- सर्वेक्षक

जम्मू एवं कश्मीर जी.डी.सी. के निम्नलिखित टी.टी.टी. 'ए'. को अस्थाई गृप 'बी' (अराजपत्रित) स्थापना में लेवल 6 के पे मैट्रिक्स 35400-112400 में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से सर्वेक्षक के पद पर प्रारंभिक वर्गीकरण किया जाता है।

क्रम स.	नाम एवं पदनाम	टी.टी.टी. 'ए'. पद पर नियुक्ति की तिथि	सर्वेक्षक के पद पर प्रारंभिक वर्गीकरण की तिथि	वर्ग	टिप्पणी
1.	श्री कासिम खान, टी.टी.टी. 'ए'	07.10.2015	01.01.2018	O.B.C.	पद दिनांक 28.02.2019 तक स्वीकृत है।

क) इस मद पर होने वाला खर्च जम्मू एवं कश्मीर जी.डी.सी. के स्वीकृत बजट से पूरा किया जायेगा एवं उपयुक्त शीर्ष के नामे डाला जायेगा।

ख) इनका वेतन कार्यालय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा


प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक के पत्र संख्या स्था.1-4573/992-डीवी-1/सी दिनांक 27.07.2018

Authority:- SG's letter No Estt.1-4573/992/Div-1/C Dated 27.07.2018

2. सेवानिवृत्ति:-

जम्मू एवं कश्मीर भू-स्थानिक आंकड़ा केंद्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जम्मू के निम्नलिखित कर्मचारी उनके नाम के सामने दर्शाई गयी तिथि से सेवानिवृत्त हुए हैं।

क्रम स.	नाम	पदनाम	कार्यालय	सेवानिवृत्ति की तिथि
01	श्री विजय कुमार,	मानचित्रकार वर्ग-1	जम्मू एवं कश्मीर भू-स्थानिक आंकड़ा केंद्र, जम्मू	30.06.2018 (A/N)


(रविन्द्र मीणा)

उप अधीक्षक सर्वेक्षक

निदेशक (सामयिक आधार पर)

- वितरण:-
1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।
 2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चंडीगढ़, को सूचनार्थ।
 3. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, जयपुर को सूचनार्थ।
 4. प्रभारी, विभाग वेबसाईट, द्वारा भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को ई-मेल (sgo.admn.soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु ।
 5. कार्यालय अधीक्षक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 6. प्रभारी आदान अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।